तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
सुरेन्द्र सिंह	दर्ज बार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने का निवेदन किया है। प्रा०-पत्र के वर्णित तथ्यों की जांच तहसीलदार झुंझुनूं से करवाई गई। तहसीलदार झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 898 दिनांक 12/6/20 को रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति जाट निवासी लोयसर का रहने वाला है। प्रार्थी के पिता अर्जुन सिंह की मृत्यु उपरान्त वर्ष 11-1-2008 के नामान्तरकरण सं० 18 दिनांक 11-8-2008 से विरासत दर्ज हुई है जिसमें विरासत से नाम ओम प्रकाश पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज हुआ है जो वर्ष 2008 से राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है के दौरान दर्ज हुआ है। जांच में पाया गया कि ओमप्रकाश व सुरेन्द्र सिंह एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के सम्पूर्ण कागजात में सुरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में ओमप्रकाश दर्ज है उसके अनुसार जांच रिपोर्ट पेश की गई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध प्रा०-पत्र के सम्बन्ध दस्तावेजी सबूतों का व रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र सिद्ध होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। **आदेश** प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाकर ग्राम लोयसर की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता सं० 6 की कुल ख० 2 पर दर्ज नाम ओमप्रकाश पुत्र अर्जुन सिंह के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष जमाबंदी आकार बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार [illegible] को आदेशित किया जाता है कि वह [illegible] रिकार्ड को इस आदेश के [illegible] तहसीलदार झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित किया जावे। पत्रावली नियम अनुसार तामील दर्ज रजिस्टर मुकदमात से फैसल कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairw
Date: 2021.12.23 12:23:27 IST
Reason: SelfAttested